8/12/15

पत्रा. पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकनोपरांत दावा वादी मुताबिक डिक्री डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

# डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उनं0 जावित्री देवी बनाम बलवीर वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 147 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व ..................... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 1832 रकबा 0.20, 1850 रकबा 0.38, 1851 रकबा 0.08, 1860 रकबा 0.85, 1897 रकबा 0.49 हैक्टेयर किता 5 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है। वादिनी व प्रतिवादीगण को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादिनी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसूद व शरह ——————फीसादी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयादी तक —————— की अदा करें ।

दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ..........8/12/25...... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दालय | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अराजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बावत इजराय हुक्म नामा<br>मुतफर्रिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>म्हनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बवत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

1. जावित्री देवी पत्नी बाबूलाल जाति कोली निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

– वादिनी

1. बलवीर पुत्र बाबू जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विजयसिंह पुत्र पीतम जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. हरीसिंह पुत्र पीतम जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. वीरो पुत्री चिरंजी जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दलवीर पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
7. बीआरकेजीबी शाखा डहरा जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सचिन यादव (R.A.S.)

| दावा सं. | रजू दिनांक | अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक |
|---|---|---|
| 147 / 2018 | 23.08.2018 | 08.12.2025 |

उनवान

1. जावित्री देवी पत्नी बाबूलाल जाति कोली निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादिनी

बनाम

1. बलवीर पुत्र बाबू जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विजयसिंह पुत्र पीतम जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. हरीसिंह पुत्र पीतम जाति जाटव निवासी ग्राम पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. वीरो पुत्री चिरंजी जाति जाटव निवासी ग्राम पहररार तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दलवीर पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
7. बीआरकेजीबी शाखा डहरा जरिए प्रबंधक।

**प्रतिवादीगण**

**उपस्थित :–श्री बृजेशं शर्मा एड.(वादिनी की ओर से)**

दावा– 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**–: निर्णय :–**

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विवादित आराजी खसरा नंबर 1832 रकबा 0.20, 1850 रकबा 0.38, 1851 रकबा 0.08, 1860 रकबा 0.85, 1897 रकबा 0.49 हैक्टेयर किता 5 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सवत 2075 से 2078 वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात किए जाकर वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी बंटवारा किया जाकर वादिनी को उसके हिस्से के कुरे का न्यारानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग खान खाता कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिए सम्मन रजिस्डर्ट एडी तलब किया गया परन्तु तामील बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता की बहस बाबत् प्रारंभिक



सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

डिक्री जारी किए जाने हेतु सुनी गई तदुपरान्त वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी के विभाजन के संबंध में दावा में दिनांक 07.03.2025 को प्रारंभिक डिक्री जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए गए।

वादपत्र में दिनांक 07.03.2025 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार नदबई के पत्रांक 4275 दिनांक 08.08.2025 द्वारा कुरे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 तैयार कर न्यायालय में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस कुरेजात रिपोर्ट में दावा को कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025 मुताबिक डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया तदुपरान्त दावा वादिनी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है–

## –::अन्तिम पर्चा डिक्री::–

वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 1832 रकबा 0.20, 1850 रकवा 0.38, 1851 रकवा 0.08, 1860 रकबा 0.85, 1897 रकबा 0.49 हैक्टेयर किता 5 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है। वादिनी व प्रतिवादीगण को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादिनी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 30.07.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/12/25 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सचिन [illegible] (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर